

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 2015/फाल्गुन 11, 1936

No. 459]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 2015/PHALGUNA 11, 1936

संस्कृति मंत्रालय

(राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2013

का.आ. 630(अ).—राष्ट्रपति, 'प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010' (2010 का 10) की धारा 20च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री मोहम्मद सलीम बेग को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं। तदनुसार, उन्होंने दिनांक 5 नवंबर, 2013 (पूर्वाह्न) से राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है।

[सं. 1-1/2011-एनएमए (पार्टी)]

प्रवीन श्रीवास्तव, सदस्य-सचिव

MINISTRY OF CULTURE

(NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2013

S.O. 630(E).—In exercise of the powers conferred by Section 20F of 'The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment and Validation) Act, 2010' (10 of 2010), the President is pleased to appoint Sh. Mohd. Saleem Beg as Whole-Time Member of the National Monuments Authority. Accordingly, he has assumed the charge of the post of Whole-Time Member, National Monuments Authority with effect from 5th November, 2013 (FN).

[No. 1-1/2011-NMA (Pt.)]

PRAVIN SRIVASTAVA, Member-Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2013

का.आ. 631(अ).—राष्ट्रपति, 'प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010' (2010 का 10) की धारा 20च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री भारत भूषण और सुश्री शालिनी महाजन को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं। तदनुसार, उन्होंने दिनांक 30 अक्टूबर, 2013 (पूर्वाह्न) से राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण में अंशकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है।

[सं. 1-1/2011-एनएमए (पार्टी)]

प्रवीन श्रीवास्तव, सदस्य-सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2013

S.O. 631(E).—In exercise of the powers conferred by Section 20F of 'The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment and Validation) Act, 2010' (10 of 2010), the President is pleased to appoint Sh. Bharat Bhushan and Ms. Shalini Mahajan as Part-time Member of the National Monuments Authority. Accordingly, they have assumed the charge of the post of Part-time Member, National Monuments Authority with effect from 30th October, 2013(FN).

[No. 1-1/2011-NMA (Pt.)]

PRAVIN SRIVASTAVA, Member-Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2014

का.आ. 632(अ).—राष्ट्रपति, 'प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010' (2010 का 10) की धारा 20च द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री डॉ. पुखराज मारू को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं। तदनुसार, उन्होंने दिनांक 6 जनवरी, 2014 (पूर्वाह्न) से राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण में अंशकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है।

[सं. 1-1/2011-एनएमए (पार्टी)]

प्रवीन श्रीवास्तव, सदस्य-सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2014

S.O. 632(E).—In exercise of the powers conferred by Section 20F of 'The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment and Validation) Act, 2010' (10 of 2010), the President is pleased to appoint Dr. Pukhraj Maroo as Part-time Member of the National Monuments Authority. Accordingly, he has assumed the charge of the post of Part-time Member, National Monuments Authority with effect from 6th January, 2014 (F.N.).

[No. 1-1/2011-NMA (Pt.)]

PRAVIN SRIVASTAVA, Member-Secy.